

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

रण संख्या - 13/2025

वान :

- दिनेश पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- राजेश पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

वनाम

- रोशनी पत्नी औमप्रकाश जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- मंजू देवी पुत्री औमप्रकाश पत्नी पवन कुमार जाति जाट निवासी केहरवाला वर्तमान निवासी केलनियां अहमदपुर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:-1 अधिवक्ता श्री महेश गौड़

:-वादीगण

2 अधिवक्ता श्री सुनील शर्मा

:-प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक.....

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीगण श्री महेशगौड़ व सुनील शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नं० 9 आर.डबल्यू डी जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं० 7/6 में तादादी 3.551 है० कमाण्ड व चक केहरवाला बरानी जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 खाता सं० 16/85 में कुल तादादी 0.890 है० बरानी प्रथम खातेदारी में दर्ज प्रतिवादीगण के हिस्सा की कृषि भूमि के वादीगण को 40हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता हाजो मे से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/01/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी